



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 701]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 30, 2014/ पौष 9, 1936

No. 701]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 30, 2014/PAUSHA 9, 1936

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2014

सा.का.नि. 925(अ).— डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 की उपधारा (3) के अधीन यथापेक्षित कतिपय प्रारूप नियम अर्थात् डिजाइन (संशोधन) नियम, 2013, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 720(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2013 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 31 अक्टूबर, 2013 में प्रकाशित किए गए थे और उन सभी व्यक्तियों से, जिनका उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां 31 अक्टूबर, 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों पर जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, डिजाइन अधिनियम, 2000 (2000 का 16) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डिजाइन नियम, 2001 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डिजाइन (संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. डिजाइन नियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में,—
(i) खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
‘(गक) “प्रकृत व्यक्ति से भिन्न कोई अन्य व्यक्ति” के अंतर्गत “लघु अस्तित्व” होगा”’; ;
(ii) खंड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—
‘(डक) “लघु अस्तित्व” से अभिप्रेत है,—

(i) माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगे किसी उद्यम की दशा में कोई उद्यम, जहां संयंत्र या मशीनरी में विनिधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन किसी मध्यम उद्यम के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है ; और

(ii) सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगे किसी उद्यम की दशा में कोई उद्यम, जहां उपस्कर में विनिधान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन मध्यम उद्यम के लिए विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, “उद्यम” से ऐसा कोई औद्योगिक उपक्रम या कारखाना समुत्थान या कोई स्थापन, चाहे जिस भी नाम से हो, अभिप्रेत है, जो किसी भी रीति में औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी उद्योग से संबंधित माल के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हो या ऐसे किसी उद्योग में कोई सेवा या सेवाएं उपलब्ध कराने या देने में लगा हो।

स्पष्टीकरण 2- संयंत्र और मशीनरी में विनिधान की संगणना करते समय प्रदूषण नियंत्रण, अनुसंधान और विकास, औद्योगिक सुरक्षा युक्तियों और ऐसी अन्य चीजों की लागत को, जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के अधीन अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अपवर्जित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण 3- भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी करेंसी की निर्देश दरें अभिभावी होंगी ।’।

3. मूल नियमों के नियम 5 के उपनियम (2) में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

“(ङ) जब किसी प्रकृत व्यक्ति द्वारा प्रक्रियागत कोई आवेदन, प्रकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः अंतरित हो जाता है तो प्रकृत व्यक्ति से प्रभारित फीस/फीसों और प्रकृत व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति से प्रभार्य फीस/फीसों में फीस/फीसों के मापमान का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा ऐसे अंतरण के लिए किए गए अनुरोध के साथ उसी मामले में संदत्त किया जाएगा ।

(च) जब किसी लघु अस्तित्व द्वारा प्रक्रियागत कोई आवेदन, प्रकृत व्यक्ति से भिन्न (लघु अस्तित्व के सिवाए) किसी व्यक्ति को पूर्णतः या भागतः अंतरित हो जाता है तो लघु अस्तित्व से प्रभारित फीस/फीसों और प्रकृत व्यक्ति से भिन्न (लघु अस्तित्व के सिवाए) व्यक्ति से प्रभार्य फीस/फीसों में फीस/फीसों के मापमान का अंतर, यदि कोई हो, नए आवेदक द्वारा ऐसे अंतरण के लिए किए गए अनुरोध के साथ उसी मामले में संदत्त किया जाएगा ।”।

4. मूल नियमों के नियम 6 में, उपनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“परंतु लघु अस्तित्व की दशा में, ऐसे प्रत्येक दस्तावेज के साथ, जिसके लिए कोई फीस विनिर्दिष्ट की गई है, प्ररूप-24 लगाया जाएगा ।”।

5. मूल नियमों में, प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :--

**“प्रथम अनुसूची
(नियम 5 देखिए)
फीस**

प्रविष्टि की सं.	निम्नलिखित पर संदेय	प्ररूप की सं०	फीस (रूपए में)		
			प्रकृत व्यक्ति के लिए	प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए, या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से	
				लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के सिवाए अन्य के लिए
1	धारा 5 और धारा 44 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर	1	1000	2000	4000
2	आवेदक या संयुक्त आवेदक के रूप में कार्यवाही करने के लिए धारा 8 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन दावा करने पर	2	500	1000	2000

3	धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार के विस्तार के लिए आवेदन पर	3	2000	4000	8000
4	धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन व्यपगत डिजाइन के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर	4	1000	2000	4000
5	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस	-	1000	2000	4000
6	धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन का निरीक्षण	5	500	1000	2000
7	जब धारा 18 के अधीन रजिस्ट्रीकरण सं० दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	6	500	1000	2000
8	जब रजिस्ट्रीकरण सं० न दी गई हो तो डिजाइन की सूचना के लिए अनुरोध पर	7	1000	2000	4000
9	धारा 19 के अधीन डिजाइन को रद्द करने के लिए याचिका पर	8	1500	3000	6000
10	धारा 21 के अधीन किसी अरजिस्ट्रीकृत डिजाइन के आशयित प्रदर्शन या प्रकाशन की सूचना	9	500	1000	2000
11	धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में किसी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन, - एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	10	500 200	1000 400	2000 800
12	धारा 30 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर के स्वत्वधारी या आंशिक स्वत्वधारी के नाम की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर, - एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	11	500 200	1000 400	2000 800
13	डिजाइन के रजिस्टर में बंधक या अनुज्ञप्ति की प्रविष्टि के लिए आवेदन पर - एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	12	500 200	1000 400	2000 800
14	धारा 30 और नियम 37 के अधीन डिजाइन रजिस्टर में दस्तावेज की अधिसूचना की प्रविष्टि के लिए आवेदन,- एक डिजाइन की बाबत प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए	13	500 200	1000 400	2000 800

15	धारा 29 के अधीन लिपिकीय त्रुटि के सुधार के लिए अनुरोध पर	14	500	1000	2000
16	धारा 26 और नियम 41 के अधीन प्रमाणन के लिए अनुरोध पर	15	500	1000	2000
17	धारा 17 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकृत डिजाइन की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन पर	16	500	1000	2000
18	धारा 31 के अधीन डिजाइन रजिस्टर की परिशुद्धि के लिए आवेदन पर	17	500	1000	2000
19	नियम 15 और नियम 18 के अधीन पूर्विकता दस्तावेज फाइल करने हेतु समय बढ़ाने के लिए आवेदन पर	18	200 (प्रति मास)	400 (प्रति मास)	800 (प्रति मास)
20	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना पर	19	100	200	400
21	नियम 29 और नियम 40 के अधीन सुनवाई में उपस्थित होने के आशय की सूचना	20	500	1000	2000
22	अभिकर्ता या अन्य व्यक्ति के प्राधिकार के लिए प्ररूप	21	-	-	
23	नियम 31 के अधीन डिजाइन के रजिस्टर में नाम या पता या सेवा पता में परिवर्तन करने के लिए अनुरोध पर	22	200	400	800
24	डिजाइन रजिस्टर में दो पते की प्रविष्टियों के लिए अनुरोध	23	200	400	800
25	किसी दस्तावेज के संशोधन के लिए नियम 46 के अधीन याचिका पर	-	500	1000	2000
26	समय बढ़ाने के लिए नियम 29, नियम 40, नियम 47 के अधीन याचिका पर	-	500	1000	2000
27	नियम 38 के अधीन डिजाइन रजिस्टर का निरीक्षण (प्रत्येक डिजाइन की बाबत)	-	250	500	1000
28	अन्यथा उपबंधित नहीं की गई याचिका पर		1000	2000	4000
29	किसी लघु अस्तित्व की प्रास्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना	24	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं”।

6. मूल नियमों की द्वितीय अनुसूची में,-

(i) प्ररूपों की सूची में” प्ररूप संख्या 23 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्

“ 24	नियम 2 और नियम 5	किसी लघु अस्तित्व की प्रास्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना”;
------	------------------	--------------------------------------------------------------------------

- (ii) प्ररूप 1, प्ररूप 4 और प्ररूप 7 में, “फीस 1000 रुपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) प्ररूप 2, प्ररूप 5, प्ररूप 6, प्ररूप 9, प्ररूप 14, प्ररूप 15, प्ररूप 16, प्ररूप 17 और प्ररूप 20 में, “फीस 500 रुपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (iv) प्ररूप 3 में, “फीस 2000 रुपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;

- (v) प्ररूप 8 में, “फीस 1500 रुपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (vi) प्ररूप 19 में, “फीस 100 रुपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (vii) प्ररूप 22 और प्ररूप 23 में, “फीस 200 रुपए” शब्दों और अंकों के स्थान पर क्रमशः “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (viii) प्ररूप 10, प्ररूप 11 और प्ररूप 12 में,
- (क) “फीस **” शब्दों और तारक चिह्नों के स्थान पर “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) “** एक डिजाइन के संबंध में 500 रुपये । प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए 200 रुपये” तारक चिह्नों, शब्दों और अंको का लोप किया जाएगा ;
- (ix) प्ररूप 13 में,-
- (क) “फीस **” शब्द और तारक चिह्न के स्थान पर “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) “टिप्पण फीस - ** एक डिजाइन के संबंध में 500 रुपये । प्रत्येक अतिरिक्त डिजाइन के लिए 200 रुपये” शब्दों, तारक चिह्ना और अंको का लोप किया जाएगा ;
- (x) प्ररूप 18 में,-
- (क) “फीस **” शब्द और तारक चिह्न के स्थान पर “फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए” शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) “*200 रुपये प्रतिमास” तारक चिह्न, अंको और शब्दों का लोप किया जाएगा ;
- (xi) प्ररूप सं. 23 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप - 24

(डिजाइन अधिनियम, 2000)

(नियम 2 और नियम 5 देखें)

किसी लघु अस्तित्व की प्रास्थिति का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाना है

1. नाम (पूरा नाम) लिखें मैं/हम.....
पता और राष्ट्रीयता
.....
.....

डिजाइन आवेदन सं. / रजिस्ट्रीकृत डिजाइन सं. की बाबत यह घोषित किया जाता है कि मैं/हम डिजाइन नियम, 2001 के नियम 2(चक) के अनुसार लघु अस्तित्व हैं और सबूत के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं ।

2. दस्तावेजों की विशिष्टियों का विवरण दें
- (i) सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) (भारतीय अस्तित्वों की दशा में के अधीन रजिस्ट्रीकरण का साक्ष्य) ।
- (ii) आवेदक या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजाइन नियम, 2001 के नियम 42 के अनुसार, यह स्पष्ट कथन करते हुए कि अभिसाक्षी (विदेशी अस्तित्वों की दशा में) डिजाइन नियम, 2001 के नियम 2(छ) के अधीन यथा परिभाषित लघु अस्तित्व है, अभिसाक्षित शपथ पत्र

मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि इसमें दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य है और यह कि डिजाइन नियम 2001 के नियम 2(छ) में यथापरिभाषित लघु अस्तित्व के रूप में मेरी/हमारी प्रास्थिति में किसी परिवर्तन की दशा में मुझे/हमें किसी लघु अस्तित्व के रूप में फायदा नहीं मिलेगा।

तारीख.....

3. आवेदक(आवेदकों)/ स्वत्वधारी
(स्वत्वधारियों)/प्राधिकृत
रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता
द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं
हस्ताक्षर.....
4. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत
व्यक्ति का नाम
नाम.....
5. हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का
पदनाम और प्राधिकारिक मुद्रा,
यदि कोई हो पदनाम.....

सेवा में,

डिजाइन नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय.....

टिप्पण :

1. लघु अस्तित्व के रूप में प्रास्थिति की बाबत तथ्यों की गलत सूचना/ दुर्व्यपदेशन के आधार पर फीस में कमी का फायदा लेने का यह अभिप्राय होगा कि नियम 5 (2)(ख) द्वारा यथा आदेशाधीन दस्तावेज के साथ संपूर्ण फीस नहीं है। धारा 24(2) के अनुसार ऐसे मामले में दस्तावेज का फाइल किया जाना तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक फीस का पूर्णतया संदाय नहीं कर दिया गया हो।
2. लघु अस्तित्व के रूप में प्रास्थिति के बारे में कोई मिथ्या सुझाव या मिथ्या व्यपदेशन करके डिजाइन रजिस्टर में प्रविष्ट रजिस्ट्रीकृत डिजाइन को डिजाइन अधिनियम, 2000 की धारा 31 के उपबंध लागू हो सकेंगे”।

7. मूल नियमों में, चतुर्थ अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात् :—

“चतुर्थ अनुसूची

(नियम 43 देखिए)

नियंत्रक के समक्ष कार्यवाहियों में अनुज्ञेय खर्चों का मापमान

प्रविष्टि की सं.	वे विषय जिनकी बाबत खर्च अधिनिर्णीत किया जाएगा	रकम (रुपए में)		
		प्रकृत व्यक्ति के लिए	प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के लिए, या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति/व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से	लघु अस्तित्व के लिए
1	नियम 40 के अधीन विरोध की सूचना के लिए	100	200	400
2	धारा 19 के अधीन डिजाइन के रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण की याचिका के लिए	1000	2000	4000

3	सुनवाई में उपस्थित होने की जानकारी की सूचना के लिए	200	400	800
4	मुख्तारनामा के लिए स्टाम्प जहां वृत्तिक को नियुक्त किया गया है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है
5	सुसंगत शपथपत्र की बाबत स्टाम्प फीस	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है	वह रकम जो वास्तव में संदत्त की गई है
6	नियम 29 के उपनियम (1) और नियम 40 के उपनियम (2) के अधीन कथन और साक्ष्य के लिए	200	400	800
7	नियम 29 के उपनियम (3) और नियम 40 के उपनियम (4) के अधीन प्रति कथन	200	400	800
8	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक शपथ पत्र के लिए	100	200	400
9	यदि सुसंगत हो, तो प्रत्येक प्रोद्धरण के लिए	100	200	400
10	प्रत्येक अनावश्यक या असंगत शपथ पत्र या प्रोद्धरण के लिए	100	200	400
11	नियंत्रक के समक्ष सुनवाई के प्रत्येक दिन या दिन के भाग के लिए	500	1000	2000” ।

[फा. सं. 5/6/2013-आईपीआर-V]

डी. वी. प्रसाद, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्याक का.आ. 414(अ), तारीख 11 मई, 2001 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक का.आ.1460(अ) तारीख 17 जून, 2008 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 2014

G.S.R 925(E).—Whereas certain draft rules, namely the Design (Amendment) Rules, 2013, were published as required under sub-section (3) of Section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion) number G.S.R. 720 (E), dated the 31st October, 2013, in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), dated 31st October, 2013, for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette containing the notification were made available to the public;

And whereas, the copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public on the 31st October, 2013;

And whereas, the objections and the suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 47 of the Designs Act, 2000 (16 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Designs Rules, 2001, namely:-

1. (1) These rules may be called the Designs (Amendment) Rules, 2014.
- (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
2. In rule 2 of the Designs Rules, 2001 (hereinafter referred to as the principal rules),—
 - (i) after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(ca) “person other than a natural person”, shall include a “small entity”’;;
 - (ii) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely:—
‘(ea) “small entity” means,—

(i) in case of an enterprise engaged in the manufacture or production of goods, an enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed the limit specified for a medium enterprise under clause (a) of sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006); and

(ii) in case of an enterprise engaged in providing or rendering of services, an enterprise where the investment in equipment is not more than the limit specified for medium enterprises under clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.

Explanation 1. – For the purpose of this clause, “enterprise” means an industrial undertaking or a business concern or any other establishment, by whatever name called, engaged in the manufacture or production of goods, in any manner, pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) or engaged in providing or rendering of any service or services in such an industry.

Explanation 2. – In calculating the investment in plant and machinery, the cost of pollution control, research and development, industrial safety devices and such other things as may be specified by notification under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), shall be excluded.

Explanation 3. – The reference rates of foreign currency of the Reserve Bank of India shall prevail.’.

3. In rule 5 of the principal rules, in sub- rule (2), after clause (d), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(e) In case an application processed by a natural person is fully or partly transferred to a person other than a natural person, the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from a natural person and the fees chargeable from the person other than natural person in the same matter shall be paid by the new applicant with the request for transfer.

(f) In case an application processed by a small entity is fully or partly transferred to a person other than a natural person (except a small entity), the difference, if any, in the scale of fees between the fees charged from the small entity and the fees chargeable from the person other than natural person (except a small entity) in the same matter shall be paid by the new applicant with the request made for such transfer.”.

4. In rule 6 of the principal rules, after sub-rule (1), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in the case of small entity, every document, for which a fee has been specified, shall be accompanied by Form-24.”.

5. In the principal rules, for THE FIRST SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

“THE FIRST SCHEDULE

(See rule 5)

FEES

No. of Entry	On what payable	No. of Form	Fees (in Rupees)		
			for Natural Person	For other than Natural Person (s) either alone or jointly with natural person	
				For Small Entity	For others except small entity
1	On application for registration of design under sections 5 and 44.	1	1000	2000	4000
2	On claim under section 8 (1) and (5) to proceed as an applicant or joint applicant.	2	500	1000	2000
3	On application for extension of copyright under section 11(2).	3	2000	4000	8000
4	On application for restoration of lapsed design under section 12(2).	4	1000	2000	4000
5	Additional fee for restoration.	-	1000	2000	4000

6	Inspection of registered design under section 17(1).	5	500	1000	2000
7	On request for information of design when registration No. given under section 18.	6	500	1000	2000
8	On request for information of design when registration No. not given.	7	1000	2000	4000
9	On petition for cancellation of design under section 19	8	1500	3000	6000
10	Notice of intended exhibition or publication of an unregistered design under section 21.	9	500	1000	2000
11	Application for registration of a document in Register of Design under section 30(3),-	10			
	In respect of one design		500	1000	2000
	For each additional design		200	400	800
12	On application for entry of name of proprietor or part proprietor in Register of Design under section 30,-	11			
	In respect of one design		500	1000	2000
	For each additional design		200	400	800
13	On application for entry of mortgage or license	12			
	In respect of one design		500	1000	2000
	For each additional design		200	400	800
14	Application for entry of notification of a document in the Register of Design under section 30 and rule 37,-	13			
	In respect of one design		500	1000	2000
	For each additional design		200	400	800
15	On request for correction of clerical error under section 29.	14	500	1000	2000
16	On request for certification under section 26 and rule 41.	15	500	1000	2000
17	On application for certified copy of registered design under section 17(2).	16	500	1000	2000
18	On application for rectification of Register of Design under section 31.	17	500	1000	2000
19	On application for extension of time for filing priority document under rule 15 & rule 18.	18	200 (per month)	400 (per month)	800 (per month)
20	On notice of opposition under rule 40.	19	100	200	400
21	Notice of intention to attend hearing under rule 29 and 40.	20	500	1000	2000
22	Form for authorization of agent or other person.	21	-	-	-
23	On request to alter names or address or address for service in the Register of Design under rule 31.	22	200	400	800
24	On request for entries of two address in the Register of Design.	23	200	400	800
25	On petition under rule 46 for amendment of any document.	-	500	1000	2000
26	On petition under rules 29, 40, 47 for enlargement of time.	-	500	1000	2000
27	Inspection of Register of Design under rule 38 (in respect of each design).	-	250	500	1000
28	On petition not otherwise provided for.		1000	2000	4000
29	To be submitted for claiming the status of a small entity	24	No fee	No fee	No fee".

6. In the principal rules, in THE SECOND SCHEDULE,-

(i) in the "LIST OF FORMS", after 'Form No.23, the following entry shall be inserted, namely :-

"24	Rules 2 and 5	To be submitted for claiming the status of a small entity";
-----	---------------	-------------------------------------------------------------

- (ii) in FORMS 1, 4 and 7 for the word, letters and figures "FEE Rs.1000", the words "For fee see First Schedule" shall respectively be substituted;
- (iii) in FORMS 2, 5, 6, 9, 14, 15, 16, 17 and 20 for the word, letters and figures "FEE Rs.500", the words "For fee see First Schedule" shall respectively be substituted;
- (iv) in FORM 3, for the word, letters and figures "FEE Rs. 2000", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;
- (v) in FORM 8, for the word, letters and figures "FEE Rs.1500", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;
- (vi) in FORM 19, for the word, letters and figures "FEE Rs.100", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;
- (vii) in FORMS 22 and 23, for the word, letters and figures "FEE Rs.200", the words "For fee see First Schedule" shall respectively be substituted;
- (viii) in FORMS 10, 11 and 12,-
 - (a) for the word and asterisks "FEE **", the words "For fee see First Schedule" shall respectively be substituted;
 - (b) the asterisks, words and figures namely, " **In respect of one Design Rs. 500.00. For each additional Design Rs. 200.00" shall be omitted;
- (ix) in FORM 13,-
 - (a) for the word and asterisks "FEE **", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;
 - (b) the asterisks, words and figures namely, " Note.- FEE-- ** In respect of one Design Rs. 500.00. For each additional Design Rs. 200.00" shall be omitted;
- (x) in FORM 18,-
 - (a) for the word and asterisk "FEE *", the words "For fee see First Schedule" shall be substituted;
 - (b) the asterisks, words and figures namely, "*Rs. 200 per month" shall be omitted.
- (xi) after Form No. 23, the following Form shall be inserted, namely :-

“FORM-24

(DESIGNS ACT, 2000)

(See rules 2 and 5)

TO BE SUBMITTED FOR CLAIMING THE STATUS OF A SMALL ENTITY

1. Insert (in full) Name,

I/We.....

Address and nationality

.....

.....

Hereby declare in respect of the Design Application No. _____/registered Design No _____ that I/we am/are a small entity in accordance with rule 2 (ea) of the Designs Rules, 2001 and submit the following document(s) as proof :

2. State the particulars of the documents

(i) Evidence of registration under the Micro, Small and Medium Enterprise Act, 2006 (27 of 2006) (in case of Indian entities).

(ii) An affidavit deposed by the applicant or authorised signatory (on the basis of deponent's own knowledge) in accordance with rule 42 of the Designs Rules, 2001 clearly stating that the deponent is a small entity as defined under rule 2(g) of the Designs Rules, 2001 (in case of foreign entities).

I / We hereby declare that the information provided herein is correct to the best of my/our knowledge, information and belief and that I / we shall cease to avail any benefit as a small entity in the event of any change in my / our status as a small entity as defined in rule 2(g) of the Designs Rules, 2001.

Dated thisday of20.....

3. To be signed by the applicant(s)/ registered proprietor(s)/ authorised registered patent agent

Signature

4. Name of the natural person who has signed.

Name

5. Designation and official seal, if any, of the person who has signed

Designation

To

The Controller of Designs,

The Patent Office

Note:

1. Availing of benefit of reduction in fee on the basis of incorrect information/ misrepresentation of facts with regard to status as a small entity would mean that the entire fee did not accompany the document, as mandated by rule 5(2)(b). In such a case, in accordance with section 24(2), the filing of the document shall be of no effect unless the fee has been fully paid.
2. A registered design entered into the Register of designs by making any false suggestion or false representation as to the status as small entity may attract the provisions of section 31 of the Designs Act, 2000".
7. In the principal rules, for THE FOURTH SCHEDULE, the following SCHEDULE shall be substituted, namely:-

“THE FOURTH SCHEDULE

(See rule 43)

Scale of costs allowable in proceedings before the Controller

Number of Entry	Matter in respect of which cost is to be awarded	Amount (in rupees)		
		For Natural Person	For other than natural person(s) either alone or jointly with natural person(s)	
			For small entity	For others except small entity
1	For notice of opposition under rule 40	100	200	400
2	For petition for cancellation of the registration for design under section 19	1000	2000	4000
3	For notice of information to attend hearing	200	400	800
4	Stamps for power of attorney, where a professional has been appointed	The amount actually paid	The amount actually paid	The amount actually paid
5	Stamps fee in respect of relevant affidavit	The amount actually paid	The amount actually paid	The amount actually paid
6	For statement and evidence under sub-rule (1) of rule 29 and sub-rule (2) of rule 40	200	400	800
7	Counter statement under sub- rule (3) of rule 29 and sub- rule 4 of rule 40.	200	400	800

8	For each affidavit, if relevant	100	200	400
9	For each citation, if relevant	100	200	400
10	For each unnecessary or irrelevant affidavit or citation	100	200	400
11	For every day or part of a day hearing before the Controller.	500	1000	2000”.

[F. No. 5/6/2013-IPR-V]

D. V. PRASAD, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 414(E), dated the 11th May, 2001 and subsequently amended *vide* notification number S.O. 1460(E), dated the 17th June, 2008.